

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, बालोद वनमंडल, बालोद (छ.ग.)

काष्ठागार परिसर, दल्लीराजहरा रोड, बालोद, फोन नं. 07749-223904 ई.मेल-dfobalod@yahoo.com

चेक लिस्ट क्र. 41

पंजीयन क्रमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण

(छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-7-22/2009/10-2 दिनांक 31.07.2009)

आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियन्ता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.1 रायपुर (छ.ग.) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-930 के झलमला-बालोद-कुसुमकसा-मानपुर मार्ग (छ.ग. / महाराष्ट्र सीमा) में 2/4 लेन मय पेव्डड शोल्डर मार्ग का चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य हेतु बालोद वनमण्डल अंतर्गत परिक्षेत्र बालोद के आर.एफ. कक्ष क्रमांक 99,98,97,92, पी.एफ. 257 रकबा 17.772 हे. , परिक्षेत्र दल्ली के वनक्षेत्र आर.एफ. कक्ष क्रं. 148,170 रकबा 5.935 हे. , परिक्षेत्र डौंडी के वनक्षेत्र आर.एफ. कक्ष क्रं. 163,164 रकबा 1.714 हे. एवं राजस्व वन क्षेत्र दानीटोला खसरा नं. 307 रकबा 1.050 हे. कुल रकबा 26.471 हे. क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव का पंजीयन क्रमांक FP/CG/ROAD/29243/2017 है।

आवेदक संस्थान से पंजीयन राशि . 6000/- एवं प्रोसेसिंग शुल्क रुपये 23000/- कुल राशि 29000/- डी.डी. क्रमांक 008221,008220 दिनांक 18.07.2017 से वसूल की जाकर उसे कोषालय में चालान क्रमांक 18 दिनांक 24.10.2017 द्वारा नोडल अधिकारी की हैसियत से वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल राजनांदगांव द्वारा पी.डी. खाते में जमा किया गया है।


(बी. श्रीनिवास राव)

कार्यपालन अभियन्ता लोक निर्माण विभाग
राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.1 रायपुर (छ.ग.)


(एस. पी. पैकरा)

वन संरक्षक
प्रभारी वन मंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल, बालोद



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2552233

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/एल.एम-115-704/3014

रायपुर, दिनांक 10/10/2017

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
राजनांदगांव (नोडल) एवं बालौद वन मंडल
छत्तीसगढ़

विषय: - Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 under Rehabilitation and upgradation to 2 lane / 4 lane of NH-930, Jhalmala-Balod-Kusumkasa-Manpur-Kohka in the State of Chhattishgarh, area - 73.42611- regarding.

संदर्भ: - आनलाईन प्राप्त प्रकरण दिनांक 20.09.2017, अभिस्वीकृति प्राप्त दिनांक 05.10.2017

-00-

OFFICE OF THE NATIONAL HIGHWAY DIVISION PWD CHHATTISHGARH

द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत Rehabilitation and upgradation to 2 lane / 4 lane of NH-930, Jhalmala-Balod-Kusumkasa-Manpur-Kohka in the State of Chhattishgarh द्वारा राजनांदगांव वन मंडल - 46.9548 हे. एवं बालौद वन मंडल - 26.47131 हे. = कुल क्षेत्र 73.42611 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु आवेदन नोडल कार्यालय को आनलाईन प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क रुपये 6000 + 23,000/- का बैंक ड्राफ्ट की स्वेन प्रति आनलाईन संलग्न किया गया है जिसे पंजीयन उपरांत वन मंडल कार्यालय में जमा किया जावेगा। राजनांदगांव वनमंडलाधिकारी उक्त प्रकरण हेतु नोडल होंगे।

उक्त आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है। प्रकरण का आनलाईन पंजीयन क्रमांक - FP/CG/ROAD/29243/2017 आबंटित किया गया है।

पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क की राशि पी.डी. खाते में जमा होने संबंधी पुष्टी करें एवं प्रकरण के पंजीयन पश्चात् हार्ड कापी में प्रस्ताव प्राप्त कर इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जा सके।

(मुख्य वन संरक्षक)
वास्ते अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/ विविध/एल.एम-115-704/3015
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

- मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त दुर्ग, छत्तीसगढ़।
- वन मंडलाधिकारी (वन प्रबंधन सूचना प्रणाली कार्यालय) राजा तालाब, रायपुर छ.ग.।
- Executive engineer, National Highway Division, PWD, Chhattishgarh, National Highway Campus, Pension bada, Raipur Chhattishgarh - आनलाईन फार्म "ए" की हस्ताक्षरित प्रति मय संलग्न आरिजनल डाक्यूमेंट, डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ वन मंडल कार्यालय में जमा करें।

वर्तमान में किसी भी क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

(मुख्य वन संरक्षक)
वास्ते अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़